

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (13.000 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजागार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज -VII के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट सिन्नी की आवादी 255 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

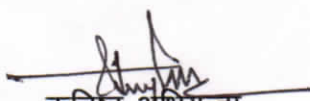
उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में वन भूमि 8.100 है०, नाप भूमि 2.045 है०, सिविल सोयम भूमि 1.800 है० एवं मोटर मार्ग के निर्माण में उत्सर्जित मलवा निस्तारण स्थल हेतु नाप भूमि 1.245 है०, सिविल सोयम भूमि 1.450 है० प्रभावित हो रही है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

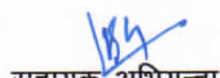
विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

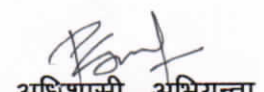
समरेखण नं० 1 :- के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखण स्थल जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड डीडिहाट के अन्तर्गत आदिचौरा से प्रारम्भ किया गया है, इस समरेखण में 0.7 हेयरपिन बैंड प्रस्तावित हैं इस समरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष कम प्रभावित होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस के अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं।

समरेखण नं० 2 :- के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखण स्थल जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड डीडिहाट के अन्तर्गत आदिचौरा से प्रारम्भ किया गया है, इस समरेखण में 0.9 हेयरपिन बैंड प्रस्तावित है इस समरेखण की ल० 14.50 कि० मी० आती है। समरेखण की ल० अधिक होने के कारण तथा समरेखण का अधिकतर भाग नाप भूमि से होकर गुजरता है मोटर मार्ग का कुछ भाग कच्ची भूमि से भी गुजरता है। इस समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण करने में वृक्ष अधिक प्रभावित होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित नहीं होती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० 2 को निरस्त कर समरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं० 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 13.000 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार सिविल सोयम भूमि 9 मीटर, चौड़ाई एवं मलवा निस्तारण स्थल हेतु 10.350 है० प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला